।। न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय दण्डाधिकारी महोदय, रतलाम (म.प्र.) ।।
।। न्यायालय श्रीमान तहसील एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी महोदय, रतलाम (म.प्र.) ।।

प्रकरण : /20

शासन द्वारा पुलिस थाना_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... अभियोगी

विरुद्ध

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ... प्रतिप्रार्थी

:: अपराध धारा 107,116(3) या धारा 151 जा.फौ. का उत्तर ::

मान्यवर महोदय,
प्रतिप्रार्थी को श्रीमान की और से प्राप्त सूचना पत्र अन्तर्गत धारा 107, 116 (3) या 151 जा.फौ. का उत्तर प्रतिप्रार्थी की और से निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

यह है कि पुलिस थाना _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ द्वारा द.प्र.सं. 1973 की धारा 151 या 107 (1), 116 (3), में जो इस्तगासा श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया है वह गलत आधारों पर प्रस्तुत किया गया है, प्रतिप्रार्थी ने कोई शान्ति भंग का कृत्य नहीं किया गया है, न ही प्रतिप्रार्थी लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है तथा मुझ प्रतिप्रार्थी को फरियादी की असत्य रिपोर्ट दर्ज करवाई है झूठी रिपोर्ट दर्ज कर प्रतिप्रार्थी को आरोपी बनाया गया है तथा मात्र रंजिशवश मुझ प्रतिप्रार्थी को परेशान करने के आशय से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है तथा मै, प्रतिप्रार्थी मेहनत मजदुरी करके अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करता है एवं शान्ती पूर्ण ढंग से अपना जीवन यापन कर रहा है।

अतः श्रीमान के समक्ष जवाब/उत्तर माननीय न्यायालय के आदेशनुसार प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रस्तुत की गई इस्तगासा को निरस्त किया जावे। यही विनय है ।
स्थान – रतलाम (म.प्र.)

दिनांक : – –2021 हस्ताक्षर प्रतिप्रार्थी

पक्षकारों को मेरे द्वारा पहचाना गया हैं –

विजय सिंह यादव, अधिवक्ता

।। न्यायालय श्रीमान तहसील एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी महोदय, रतलाम (म.प्र.) ।।

प्रकरण : /20

शासन द्वारा पुलिस थाना_____ ... अभियोगी

विरुद्ध

_____ ... प्रतिप्रार्थी

– नेकचलनी मुचलका –
अपराध धारा 107/116(3) जा.फो.

मान्यवर महोदय,

मैं अनावेदक इस आशय का यह नेकचलनी मुचलका नामा रूपये 3000 पेश कर पाबन्द होता हूँ कि मैं अनावेदक नगर रतलाम में एक साल तक नेकदलन रहूँगा ।
किसी प्रकार का कोई लड़ाई, झगडा, गारपीट गाली गलोच आदि नहीं करूंगा ।
यदि मुझ अनावेदक के द्वारा उक्त कृत्य किया जाता हैं तो मेरी जमानत की रकम रूपये 2000/– मेरी चल–अचल सम्पत्ति में से वसुल करने का अधिकार म प्र शासन को रहेगा । जिसमें मुझे व मेरे वारीसान को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी ।

अतः यह उपरोक्तानुसार नेकचलनी मुचलका प्रस्तुत है ।

स्थान – रतलाम (म.प्र.)
दिनांक : – –2021 हस्ताक्षर प्रतिप्रार्थी

पक्षकारों को मेरे द्वारा पहचाना गया हैं –

विजय सिंह यादव, अधिवक्ता

<u>परिशान्ति कायम रखने के लिए बन्धपत्र – धारा 107/116 (3)</u>

मै _____ पिता/पति
_____

निवासी _____ हैं,

मुझसे यह अपेक्षा की गई है कि मैं 6 माह की अवधि के लिए या जब तक कार्यपालिक दण्डाधिकारी की न्यायालय में धारा 107, 116 (3) मामले में इस समय लंधित जाँच समाप्त न हो जाये परिशान्ति कायम रखने के लिए बन्धपत्र लिखता हूँ।

इसलिए मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता है कि उक्त अवधि के दौरान या जब तक उक्त जाँच समाप्त न हो जाये परिशान्ति भंग नहीं करूंगा अथवा ऐसा कोई कार्य नही करूंगा जिससे परिशान्ति भंग होना सम्भव हो,मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूँ कि यदि इसमें मैंने कोई चुक की तो मेरी 3000/– रूपये की राशि सरकार को समर्पित हो जायेगी ।

न्यायालय की मुद्रा हस्ताक्षर प्रतिप्रार्थी

मैं उक्त धारा 107, 116(3) के लिए अपने को इसके द्वारा इस बात के लिए प्रतिभूति घोषित करता/करती है कि वह उक्त अवधि के दौरान या जब तक उक्त जॉच समाप्त न हो जाये , सरकार और भारत के सब नागरिकों के प्रति सदाचार बरतूंगा और मैं अपने को संयुक्त और पृथकतः आबद्ध करता हूँ कि यदि इसमें कोई चुके की तो मेरी रूपये 2000 की राशि सरकार को समर्पित हो जायेगी ।

न्यायालय की मुद्रा

स्थान – रतलाम (म.प्र.)
दिनांक : – –2021 हस्ताक्षर प्रतिप्रार्थी

पक्षकारों को मेरे द्वारा पहचाना गया हैं –

विजय सिंह यादव, अधिवक्ता